विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम: पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

प्रश्न संख्या तारांकित: 3016

उत्तर की तिथि: 10-09-2020

विषय : गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)

सम्बन्धित मंत्री: मुख्यमंत्री

प्रश्न	उत्तर
कांगड़ा (गग्गल) हवाई अड्डे का कितना विस्तार प्रस्तावित है; इससे कितने लोग विस्थापित होंगे; उनको बसाने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है व उन्हें मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 3016 श्री पवन कुमार काजल, माननीय विधायक (कांगड़ा) द्वारा गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार बारे पूछे गए प्रश्न का उत्तरः–

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे को 1372 mtrs. से 3010 mtrs. करने की योजना है।
- उपायुक्त, कांगड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त विस्तार हेतु तहसील शाहपुर में तथा तहसील कांगडा में 144–53–23 हेक्टेयर भूमि (जिसमें से 120–57–01 हेक्टेयर निजी भूमि है) का चयन किया गया है। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए ADM, कांगडा की अध्यक्षता में Negotiation Committee का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त Social Impact Assessment (SIA), Rules 2015 के अनुसार Member Secretary-cum-Dy. Secretary (Revenue), SIA Unit ,HIPA, Shimla के माध्यम से Social Impact Assessment करवाने हेतु आगामी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, जिससे विस्थापित होने वाले लोगों का अनुमान लगाते हुये आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- प्रस्तावित भूमि को अंतिम रुप देने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण का प्रयास Negotiation Committee के माध्यम से किया जाएगा। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो भूमि अधिग्रहण through compulsory acquisition under Right to fair Compensation and Transparency of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and its subsequent Rules के तहत किया जाएगा। इस भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले लोगों को Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अनुसार या Negotiation Committee द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

*****